भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2300

जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2026 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1948 (शक)

साइबर शक्ति कार्यक्रम का विस्तार

2300. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति के वर्ष 2026 के प्रतिवेदन में महिला पुलिस अधिकारियों, साइबर सेल कर्मियों तथा साइबर अपराधों के पीड़ितों की सहायता व जाँच करने वाली महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित प्रभाग की स्थापना करके साइबरशक्ति कार्यक्रम का विस्तार करने हेतु की गई सिफारिश की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सिफारिश को लागू करने का विचार रखती है और इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ग) वर्ष 2024 में साइबरशक्ति कार्यक्रम के आरंभ होने के बाद से अब तक, इसके अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने साइबर शक्ति कार्यक्रम को गति देने के लिए महिला सशक्तिकरण स्थायी समिति की वर्ष 2026 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर ध्यान दिया है। इस कार्यक्रम को अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य महिला सरकारी अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और साइबर सुरक्षा कौशल को मजबूत करना था। परियोजना के दूसरे चरण की सिफारिश मई 2026 में साइबर सुरक्षा पर कार्य समूह द्वारा की गई है।

साइबरशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत 2024 में हुई थी और तब से अब तक इस कार्यक्रम के तहत महिला पुलिस अधिकारियों, साइबर सेल कर्मियों और साइबर अपराधों के पीड़ितों से निपटने वाली महिला अधिकारियों सहित कुल 978 महिला सरकारी अधिकारियों को दो सप्ताह के वर्चुअल इंस्ट्रक्टर-लेड ट्रेनिंग (वीआईएलटी) मोड ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक सप्ताह के ऑफलाइन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। 2024 में साइबर शक्ति कार्यक्रम की स्थापना के बाद से इसके तहत प्रशिक्षित महिला सरकारी अधिकारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**राज्य**	**प्रशिक्षित महिला अधिकारियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	12
2	असम	11
3	बिहार	11
4	छत्तीसगढ़	6
5	गोवा	7
6	गुजरात	81
7	हरियाणा	42
8	हिमाचल प्रदेश	30

9	झारखंड	11
10	कर्नाटक	73
11	केरल	36
12	मध्य प्रदेश	15
13	महाराष्ट्र	53
14	मणिपुर	5
15	मेघालय	16
16	मिजोरम	2
17	नागालैंड	1
18	ओडिशा	32
19	पंजाब	12
20	राजस्थान	29
21	सिक्किम	1
22	तमिलनाडु	64
23	तेलंगाना	28
24	त्रिपुरा	19
25	उत्तर प्रदेश	45
26	उत्तराखंड	32
27	पश्चिम बंगाल	20
कुल		**694**

क्र.सं.	**संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)**	**प्रशिक्षित महिला अधिकारियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	चंडीगढ़	7
3	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
4	दिल्ली	249
5	जम्मू और कश्मीर	5
6	लद्दाख	12
7	लक्षद्वीप	1
8	पुडुचेरी	7
कुल		**284**

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, कुल 573 महिला प्रतिभागियों ने वेबिनार में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें साइबर सुरक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना है।

******